संख्या-27/2020/667/58-2020-100(2)/2001

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उद्यान अनुभाग, **लखनऊः दिनांक 01 अप्रैल, 2020**

विषय- शीतगृहों को मण्डी उप स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या-157/80-2-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 के साथ संलग्न कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-7 क एवं उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवां संशोधन) नियामवाली-2019 के नियम-58 क (प्रति सलंग्न) का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शीतगृहों को मण्डी उप स्थल घोषित करने का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत कोई भी शीतगृह/भण्डारागार, साइलो आदि जिसकी भण्डारण क्षमता 5000 मै0टन से कम न हो, का स्वामी निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 को लाईसेन्स शुल्क न्यूनतम तीन वर्षों के लिए धनराशि रू0-2000/- प्रतिवर्ष या रू0-20000/- बीस वर्षो हेतु प्रतिभूति धनराशि रू0 5.00 लाख एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-13 पर आवेदन कर सकता है।

2- निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार की संस्तुति पर राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा लाइसेंसधारी शीतगृह को उपमण्डी स्थल घोषित किया जायेगा। घोषणा के बाद मण्डी नियमों के अन्तर्गत क्रय-विक्रय करना होगा तथा निर्धारित मण्डी शुल्क देना होगा। इन्हें 0.5 प्रतिशत विकास सेस देय नहीं होगा।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीतगृह स्वामियों को मण्डी एक्ट एवं नियमावली में किये गये उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद के लाइसेंसधारी शीतगृहों को जिनकी भण्डारण क्षमता 5000 मैट्रिक टन से कम न हो, मण्डी उप स्थल घोषित कराने के लिए प्रेरित कराने का कष्ट करें, जिससे कि शीतगृहों पर क्रय-विक्रय को बढ़ावा मिले और जनपद के किसानों को बिक्री के अधिक विकल्प मिल सके।

सलंग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(बी0एल0मीणा)

http://shasanadesh.gov.in

प्रमुख सचिव।

क्रमशः.....2

संख्या-27/2020/667/58-2020/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को उक्त संदर्भित सलग्कों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार,उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उ0प्र0,लखनऊ।
3. निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.gov.in